



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1942 (श०)

संख्या-139 राँची, गुरुवार,

18 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

02 फरवरी, 2021

संख्या--5/आरोप-1-138/2017-1122 (HRMS)-- श्री राजेश कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन अंचल अधिकारी, मोहनपुर, देवघर के विरुद्ध रिखिया घाट स्थित तीन दुकानों की बंदोबस्ती एक ही परिवार के तीन सदस्यों-पति, पत्नी एवं पुत्री के साथ करने संबंधी आरोपों हेतु अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4038, दिनांक 12.09.2017 द्वारा माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा दिनांक 04.09.2017 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए इनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने का अनुशंसा किया गया।

माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा की गयी अनुशंसा एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर श्री कुमार के विरुद्ध विभाग स्तर पर प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित किया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, मोहनपुर, देवघर द्वारा रिखिया घाट परिसर में अवस्थित कुल तीन दुकानों की बंदोबस्ती एक ही परिवार के तीन सदस्यों-पति, पत्नी एवं पुत्री के नाम पर की गयी।

2. माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा उक्त मामले की जाँच के क्रम में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, दिनांक 07.06.2017 में दखलकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बावजूद यह प्रतिवेदित नहीं किया कि तीनों दुकानों के दखलकार एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। इस प्रकार इनके द्वारा माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड को भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3. इनका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है एवं दण्डनीय है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-11848, दिनांक 04.12.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 16.03.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक-3416, दिनांक 22.05.2018, पत्रांक-4400, दिनांक 14.06.2018, पत्रांक-8271, दिनांक 05.11.2018 एवं अर्द्ध सरकारी पत्र सं0-53, दिनांक 03.12.2018 द्वारा उपायुक्त, देवघर से मंतव्य की माँग की गयी।

उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-09/सा0, दिनांक 03.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, देवघर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-1727;(hrms), दिनांक 11.04.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-163, दिनांक 01.07.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-2 को आंशिक रूप से सही एवं आरोप सं0-3 के संबंध में उल्लेख किया गया कि आरोपी द्वारा कर्तव्य के निर्वहन के क्रम में कुछ चूक हुई, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(ii) के प्रतिकूल है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय संकल्प सं0-580(hrms), दिनांक 29.01.2020 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध इस मामले में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार के पत्र, दिनांक 28.08.2020 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपील अभ्यावेदन में समर्पित मुख्य बिन्दु एवं विभागीय समीक्षा निम्नवत् है-

(i) आरोप संख्या-1 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि मैं अंचल अधिकारी, मोहनपुर, देवघर के रूप में दिनांक 09.05.2011 को प्रभार ग्रहण किया। रिखिया घाट परिसर में दुकाने पूर्व से ही निर्मित थी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, देवघर के पत्रांक-639/भू0रा0, दिनांक 11.10.2011 के माध्यम से दुकान बंदोबस्त करने के संबंध में प्राप्त श्रीमती बिन्दु सिंह, पति-भोला प्रसाद सुमन का आवेदन एवं अनुमंडल

पदाधिकारी, देवघर के पत्रांक-798, दिनांक 24.12.2011 के माध्यम से दुकान आवंटन करने के संबंध में प्राप्त कैलाश चन्द्र राव, पिता-स्व0 तितु राव का आवेदन अंचल कार्यालय को प्राप्त हुआ। उक्त दुकानों के आवंटन हेतु जांच प्रतिवेदन मांगे जाने के पश्चात् राजस्व कर्मचारी-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक के साथ लिखिया घाट जाकर दुकानों का निरीक्षण किया गया। स्थल जांच के क्रम में पाया गया कि संबंधित दुकानों का निर्माण सरकारी राशि से हुआ है एवं इसका बंदोबस्ती एवं भाड़ा निर्धारण नहीं हुआ है तथा इन दुकानों पर तीन व्यक्तियों (1) कैलाश चन्द्र राव, पिता-स्व0 तितु राव (2) पुष्पा देवी, पति-शिवपूजन वर्मा एवं (3) मंजु देवी, पति-कैलाश चन्द्र राव के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। अतः मेरे स्तर से दुकान खाली करने का नोटिस संबंधित तीनों व्यक्तियों को 30.12.2011 को दिया गया। मेरे स्तर से दुकान खाली करने हेतु निर्गत नोटिस के पश्चात् उक्त दुकानों पर अवैध रूप से काबिज दो अन्य व्यक्तियों (1) पुष्पा देवी, पति-शिवपूजन वर्मा एवं (2) मंजु देवी, पति-कैलाश चन्द्र राव द्वारा उक्त दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन अंचल कार्यालय को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त संदर्भ में सादर समर्पित है कि सरकारी दुकानों के आवंटन हेतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई अंचल अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, देवघर के पत्रांक-639, दिनांक 11.10.2011 के माध्यम से श्रीमती बिन्दु सिंह, पति-भोला प्रसाद सुमन एवं अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के पत्रांक-798, दिनांक 24.12.2011 के माध्यम से प्राप्त कैलाश चन्द्र राव, पिता-स्व0 तितु राव का आवेदन एवं नोटिस निर्गत किये जाने के पश्चात् (1) पुष्पा देवी, पति-शिवपूजन वर्मा एवं (2) मंजु देवी, पति-कैलाश चन्द्र राव का आवेदन मूल रूप में अग्रत्तर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर को पत्रांक-36/रा0, दिनांक 17.01.2012 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन में आवेदक/अतिक्रमणकारी व्यक्तियों के संबंध में मुझे सभी विवरणी अंकित की गई थी। उक्त पत्र के साथ संबंधित राजस्व कर्मचारी-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा दुकानों के साईज एवं स्थानीय बाजार दर पर वार्षिक भाड़ा का प्रतिवेदन एवं मेरे द्वारा अवैध रूप से दखलकार व्यक्तियों के विरुद्ध निर्गत नोटिस की प्रति भी संलग्न की गई थी।

इस संबंध में पुनः स्पष्ट करना है कि उपरांकित प्रतिवेदन स्थानीय जांचोपरान्त तैयार की गई पूर्णतः तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, जिसमें दुकान आवंटन हेतु किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में कोई अनुशंसा मेरे स्तर से नहीं की गई है। संबंधित दुकानों का आवंटन अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के स्तर से कैलाश चन्द्र राव वगैरह बनाम 16/- सोलह आना रैयत को नोटिस निर्गत करते हुए दुकान बंदोबस्ती वाद सं0-41/2011-12 के द्वारा किया गया है। सरकारी दुकानों के आवंटन का मामला अंचल अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण आवंटन हेतु प्राप्त सभी चार आवेदनों को मूल रूप से किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में अनुशंसा के बगैर अग्रत्तर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर को प्रेषित किया गया था। अतः दुकान आवंटन के संबंध में मेरे ऊपर लगाया गया आरोप सं0-1 निराधार है।

विभागीय समीक्षा- संचालन पदाधिकारी द्वारा रिखिया घाट परिसर में अवस्थित तीन दुकानों की बंदोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के द्वारा किये जाने के आधार पर श्री कुमार के विरुद्ध आरोप सं0-1 को सही नहीं प्रतिवेदित किया गया है।

(ii) आरोप संख्या-2 के संदर्भ में कहना है कि विषयांकित मामले में दायर परिवाद सं0-01/लोक (राजस्व)-15/2014 पर लोकायुक्त कार्यालय से निर्गत पत्रांक-1707, दिनांक 28.04.2017 के माध्यम से संसूचित आरोप पत्र में वर्णित दोनों बिन्दुओं पर मेरे द्वारा परिवाद में अंकित विषय पर पूर्व में की गई कार्रवाई एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर को प्रेषित तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए बिना किसी तथ्य को छुपाये स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था।

इस संबंध में पुनः स्पष्ट करना है कि दुकान आवंटन के संदर्भ में मेरे स्तर से कोई पक्षपात नहीं की गई है, ना ही दुकान आवंटन हेतु किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में कोई अनुशंसा की गई है। रिखिया घाट के दुकानों की बंदोबस्ती जिन व्यक्तियों के नाम की गई, वे मेरे स्वजातीय नहीं हैं। अतः माननीय लोकायुक्त को भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित किये जाने संबंधी आरोप सं0-2 निराधार है।

विभागीय समीक्षा- संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि स्थल निरीक्षण के क्रम में यह बात अवश्य प्रकाश में आयी होगी कि तीनों दुकानों के दखलदार एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर भी श्री कुमार द्वारा अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया, जो कर्तव्य में लापरवाही का धोतक है। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि तीनों दुकानों का संचालन तीन अलग-अलग व्यवसाय के रूप में तीन व्यक्तियों के द्वारा किये जाने संबंधी अंकन उन दखलदारों को अलग-अलग बताने की चेष्टा का द्योतक है। अतः श्री कुमार का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(iii) इस मामले में श्री उमाशंकर सिंह, भा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित न पाते हुए उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। मेरे द्वारा तथ्यपरक प्रतिवेदन, जो सरकारी सेवक के रूप में निहित मेरे कर्तव्यों के अनुरूप था, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया था।

विभागीय समीक्षा- तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर द्वारा रिखिया घाट परिसर में अवस्थित तीन दुकानों के बंदोबस्ती आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक-36/रा0, दिनांक 17.01.2012 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर की गई थी एवं प्रेषित प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि तीनों दुकान के दखलदार एवं संचालनकर्ता एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः आरोपी का कथन मान्य नहीं है। अतः, समीक्षोपरांत, श्री राजेश कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मोहनपुर, देवघर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड यथावात् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJESH KUMAR JHK/JAS/156	श्री राजेश कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मोहनपुर, देवघर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड यथावात् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राजेश कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
